न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा

पीठासीन अधिकारीः— अमिता बिश्नोई आर.ए.एस.

राजस्व प्रकरण संख्याः— 112/2024

1. बलजीतकौर पत्नी जोगेन्द्रसिंह, जाति जटसिख, साकिन खरलिया, तहसील पीलीबंगा, जिला हनुमानगढ़।
2. वीरपालकौर पत्नी वलकरणसिंह, जाति जटसिख, साकिन खरलिया, तहसील पीलीबंगा, जिला हनुमानगढ़।
3. सुखजीतकौर पत्नी ईकबालसिंह,जाति जटसिख, साकिन खरलिया, तहसील पीलीबंगा, जिला हनुमानगढ़।
4. सेमजीतकौर पत्नी जसकरणसिंह, जाति जटसिख, साकिन खरलिया, तहसील पीलीबंगा, जिला हनुमानगढ़।

प्रार्थीगण

—:बनामः—

1. बलविन्द्रसिंह पुत्र जगजीतसिंह, जाति जटसिख, साकिन खरलिया, तहसील पीलीबंगा, जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)।
2. राजेन्द्रसिंह पुत्र जगजीतसिंह, जाति जटसिख, साकिन खरलिया, तहसील पीलीबंगा, जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)।
3. तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमनगढ।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251—क राजस्व काश्तकारी अधिनियम

—:: उपस्थित अभिभाषकगण ::—

1. श्री नवीन जैन	प्रार्थीगण
2. श्री हरजिन्द्र सिंह रमाणा	अप्रार्थी संख्या 1 व 2
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पीलीबंगा	अप्रार्थी संख्या 3

—:: निर्णय ::—

दिनांक :—22/01/2025

प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण की ओर से अन्तर्गत धारा 251—क राजस्व काश्तकारी अधिनियम अप्रार्थीगण के विरूद्ध अधिवक्ता श्री नवीन जैन के द्वारा प्रस्तुत किया गया है प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण का प्रमाणित व पंजीकृत पता सिविल प्रक्रिया सहिंता के प्रावधानो के अनुसार वही है जो प्रार्थना पत्र के शीर्षक में निवेदित किया गया हैं। 1

यह कि प्रार्थीगण की कृषि भूमि तहसील पीलीबंगा के चक 4 एसजीआर के खाता स. 40/32 के प. न. 2/309 (28) के किला न. 16/1/0.228,16/2/0.025, 17 ता 24, 25/1/0.228, 25/2/0.025 व प.न. 2/310 (30) के किला न. 1 ता 4, 5/1/0.228, 5/2/0.025 की कुल 3.795 हैक्ट. नहरी मय गैर मुमकिन खाला कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबंदी सलग्न प्रार्थना पत्र है।

Signature Not Verified

यह कि अप्रार्थी स. 1 व 2 की कृषि भूमि तहसील पीलीबंगा के चक 4 एसजीआर के खाता स. 66/50 के प.न. 2/309 (28) के किला न. 1/1/0.228, 1/2/0.025, 2/1/0.228, 2/2/0.025, 3/1/0.228, 3/2/0.025, 4/1/0.228, 4/2/0.025, 5/1/0.203, 5/2/0.025, 5/3/0.025, 6/1/0. 228, 6/2/0.025, 7 ता 14, 15/1/0.228, 15/2/0.025 की 3.795 हैक्ट. नहरी मय गैर मुमकिन खाला रास्ता कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबंदी सलग्न प्रार्थना पत्र है।

Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2025.02.06 15:36:27 IST
Reason: Self Attested

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 3 में वर्णित कृषि भूमि अप्रार्थीगण के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है प्रार्थीगण को अपनी कृषि भूमि में आने जाने हेतु अप्रार्थीगण नाम वर्णित उक्त खातेदारी कृषि भूमि के चक 4 एसजीआर के प.न. 2/309 (28) के किला न. 1/1/0.013, 10/0.013, 11/0.013 प्रत्येक किला में 0.013 हैक्ट. पश्चिम दिशा उतर से दक्षिण लम्बा रास्ता बिना किसी प्रतिफल के राजस्व रिकार्ड में स्वीकृत करवाना चाहते है, मौका पर रास्ता चालू है, जिसका का उपयोग व उपभोग प्रार्थीगण करते आ रहे है प्रार्थीगण की कृषि भूमि में आने जाने हेतू अन्य काश्तकार को रास्ता नही है। प्रार्थीगण व अन्य काश्तकार इसी रास्ते का उपयोग अपनी कृषि भूमि में आने जाने के साथ साथ कृषि भूमि में कृषि यंत्र लाने ले जाने भूमि की बीजाई व कटाई हेतु कृषि यंत्र लाने ले जाने व कृषि जिन्स को इक्कठा करने के लिये इसी रास्ते का उपयोग व उपभोग करते आ रहे है। इस कारण मिन प्रार्थीगण अप्रार्थी स. 1 व 2 के नाम वर्णित चक 4 एसजीआर के प.न. 2/309 (28) के किला न. 1/1/0.013, 10/0.013, 11/0.013 प्रत्येक किला में 0.013 हैक्ट. पश्चिम दिशा उतर से दक्षिण लम्बा रास्ता राजस्व रिकार्ड में स्वीकृत करवाना चाहते है,

यह कि प्रार्थीगण द्वारा चाहे गये अनुतोष को स्वीकृत किये जाने की एवज में श्रीमान् न्यायालय के आदेशानुसार प्रार्थीगण रास्ता हेतू स्वीकृत कृषि भूमि के बदले नियमानुसार डी. एल.सी. की दुगुनी राशि जो भी न्यायालय निश्चित करे प्रार्थीगण, अप्रार्थीगण स. 1 ता 2 को देने हेतू सहमत है। 6. यह कि प्रार्थना पत्र श्रीमान् जी के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार का है जो उचित न्याय 2/– रूपये न्यायशुल्क पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत है।

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर श्रीमान जी से निवेदन है कि चक 4 एसजीआर के प.न. 2/309 (28) के किला न. 1/1/0.013, 10/0.013, 11/0.013 प्रत्येक किला में 0.013 हैक्ट. पश्चिम दिशा उतर से दक्षिण लम्बा रास्ता कृषि भूमि के बदले नियमानुसार डी.एल.सी. की दुगुनी राशि जो भी न्यायालय निश्चित किये जाने के आदेश फरमाये जावे। श्रीमान जी की अति कृपा होगी।

प्रकरण में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर सरिस्ता रिपोर्ट बाद दर्ज रजिस्टर किया गया एवं अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। दिनांक 12.11.2024 को अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की ओर से श्री हरजिन्द्र सिंह रमाणा अधिवक्ता हाजिर आये वकालतनामा प्रस्तुत किया। प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 व 2 स्वयम् हाजिर आये तहरीर शुदा राजीनामा प्रस्तुत किया गया राजीनामा उभय पक्ष राजीनामा निम्न प्रकार से है:–

यह कि प्रार्थीगण/प्रथम पक्ष की कृषि भूमि तहसील पीलीबंगा के चक 4 एसजीआर के खाता स. 40/32 के प.न. 2/309 (28) के किला न. 16/1/0.228,16/2/0.025, 17 ता 24, 25/1/0.228, 251210. 025 व प.न. 2/310 (30) के किला न. 1 ता 4, 5/1/0.228, 5/2/0.025 की कुल 3.795 हैक्ट. नहरी मय गैर मुमकिन खाला कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

यह कि अप्रार्थी स. 1 व 2 द्वितीय पक्ष की कृषि भूमि तहसील पीलीबंगा के चक 4 एसजीआर के खाता स. 66/50 के प.न. 2/309 (28) के किला न. 1/1/0.228, 1/2/0. 025, 2/1/0.228, 2/2/0. 025, 3/1/0.228, 3/2/0.025, 4/1/0.228, 4/2/0. 025, 5/1/0.203, 5/2/0.025, 5/3/0.025, 6/1/0.228, 6/2/0.025, 7 ता 14, 15/1/0.228, 15/2/0.025 की 3.795 हैक्ट. नहरी मय गैर मुमकिन खाला रास्ता कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2025.02.06 15:36:27 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 3 में वर्णित कृषि भूमि अप्रार्थीगण/द्वितीय के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है प्रार्थीगण/प्रथम पक्ष को अपनी कृषि भूमि में आने जाने हेतु अप्रार्थीगण/द्वितीय पक्ष के नाम वर्णित उक्त खातेदारी कृषि भूमि के चक 4 एसजीआर के प.न. 2/309 (28) के किला न. 1/1/0.013, 10/0.013, 11/0.013 प्रत्येक किला में 0.013 हैक्ट. पश्चिम दिशा उतर से दक्षिण लम्बा रास्ता राजस्व रिकार्ड में स्वीकृत करवाने हेतू अप्रार्थी स. 1 व 2 / द्वितीय पक्ष ने प्रार्थीगण/प्रथम पक्ष से चक 4 एसजीआर के प.न. 21309 (28) के किला न. 1/1/0.013, 10/0.013, 11/0.013 प्रत्येक किला में 0.013 हैक्ट. पश्चिम दिशा उतर से दक्षिण लम्बा रास्ता के एवज में कृषि भूमि के बदले नियमानुसार डी.एल.सी. की दुगुनी राशि प्राप्त कर ली है।

यह कि मुताबिक राजीनामा चक 4 एसजीआर के प.न. 2/309 (28) के किला न. 1/1/0.013, 10/0.013, 11/0.013 प्रत्येक किला में 0.013 हैक्ट. पश्चिम दिशा उतर से दक्षिण लम्बा रास्ता राजस्व रिकार्ड में स्वीकृत करवाने हेतू अप्रार्थी स.1 व 2/द्वितीय पक्ष ने प्रार्थीगण/प्रथम पक्ष से चक 4 एसजीआर के प.न. 2/309 (28) के किला न. 1/1/0.013, 10/0.013, 11/0. 013 प्रत्येक किला में 0.013 हैक्ट. पश्चिम दिशा उतर से दक्षिण लम्बा रास्ता स्वीकृत करते हुए राजस्व रिकार्ड में अंकन किये जाने के आदेश दिये जावे। अतः राजीनामा पेश कर निवेदन है कि तहसील पीलीबंगा के चक 4 एसजीआर के प.न. 2/309 (28) के किला न. 1/1/0.013, 10/0.013, 11/0.013 प्रत्येक किला में 0.013 हैक्ट. पश्चिम दिशा उतर से दक्षिण लम्बा रास्ता स्वीकृत करते हुए राजस्व रिकार्ड में अंकन किये जाने के आदेश दिये जावे। श्रीमान जी की अति कृपा होगी।

प्रकरण में तहसीलदार पीलीबंगा से तथ्यात्मक रिपोर्ट पत्रांक 13 दिनांक 14.01.2025 से प्राप्त की गई मुताबिक रिपोर्ट प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता प.न. 2/309 मु.न. 28 किला न. 1,10,11 के पश्चिमी दिशा में चाहा गया है जो मौके पर चालू है। सभी काश्तकारों को पक्षकार बनाया गया है। पूर्व में कोई स्वीकृत शुदा रास्ता नहीं लगता है। प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ते से कम दूरी का कोई रास्ता नहीं है। प्रार्थी द्वारा चाहे गए रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता मौके पर चालू नहीं है।

बहस उभय पक्षसुनी गई। उभय पक्ष द्वारा प्रकरण में राजीनामा प्रस्तुत किया गया है बहस पर मनन कर प्रस्तुत प्रार्थना पत्र संलग्न दस्तावेजों शपथ पत्र अवलोकन प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के राजीनामा एवं तहसीलदार पीलीबंगा की रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र राजस्व काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251–क के तहत स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

—:आदेश:—

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत राजीनामा व तहसीलदार पीलीबंगा का अवलोकन व अध्ययन किया गया। तहसीलदार पीलीबंगा की रिपोर्ट व प्रस्तुत नक्शा ट्रेस के मुताबिक प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता प.न. 2/309 मु.न. 28 किला न. 1,10,11 के पश्चिमी दिशा में चाहा गया है जो मौके पर चालू है। सभी काश्तकारों को पक्षकार बनाया गया है। पूर्व में कोई स्वीकृत शुदा रास्ता नहीं लगता है। प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ते से कम दूरी का कोई रास्ता नहीं है। प्रार्थी द्वारा चाहे गए रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता मौके पर चालू नहीं है इसलिए प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251–क स्वीकार किया जाना न्यायोचित है। प्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 251 क आरटीए के प्रावधानों के अनुरूप साबित होने

Signature Not Verified
Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2025.02.06 15:36:27 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

पर स्वीकार किया जाता है कि चक 4 एसजीआर के प.न. 2/309(28) के किला नं. 1/1/0.013, 10/0.013, 11/0.013 प्रत्येक किला में 0.013 हैक्ट. पश्चिम दिशा उतर से दक्षिण लम्बा रास्ता स्वीकृत किया जाता है। राजीनामा अनुसार रास्ता बिना किसी प्रतिफल के स्वीकृत किया जाता है। आदेशों की पालना में तहसीलदार उक्तानुसार रास्ता राजस्व रिकार्ड में अंकन करे।

पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो। आदेश को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में दिनांक 22/01/25 सुनाया गया।

(अमिता बिश्नोई आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलेक्टर
पीलीबंगा

Signature Not Verified

Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2025.02.06 15:36:27 IST
Reason: SelfAttested